(घ) दिसम्बर, 1968 तक ग्रामीए। श्रीमकों की दशा सुधारने में हुई. प्रगति तथा चौथी पंच-वर्षीय योजना में किये जाने वाले वैकल्पिक उपायों का व्यौराक्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वांस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत का द्याजाव) : (क) जी, हां।

- (ख) जी, हां।
- (ग) जीहाँ, परन्तु वांछित सीमा तक नहीं।
- (घ) श्रम ब्यूरो द्वारा इस समय भारत के ग्रामीए श्रमिकों के सम्बन्ध में किए गए गहन अध्ययन से सरकार तथा अन्य अभिकरणों द्वारा ग्रामीए। श्रमिक परिवारों के बारे में चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाश्चों का विस्तृत व्यौरा श्वभी विचाराधीत है श्लीर इनका विवरण चौथी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में दिया जायगा।

## Working Hours in P&T Deptt.

2909. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

- (a) the total number of hours in a week for which a postal signaller, a postal clerk, a sub-postmaster and a telegraph messenger have to work;
- (b) whether it is a fact that in the above categories postal signallers have to perform overtime duties and are not paid overtime allowance;
  - (c) if so, reasons for this disparity;
- (d) whether government are thinking of removing this anomaly by making the payment of overtime allowance obligatory for all categories of postal employees; and
  - (e) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) These categories of staff perform a duty of 48 hours per week,

- (b) They are entitled to O.T.A. except when posted as independent incharge of offices. Even the incharge of the offices in time scale get O.T.A. when required to work overtime by the controlling telegraph offices.
- (c) Normally officials holding independent charge of offices have been precluded from the grant of O.T.A. as their work is not susceptible to check and supervision.
  - (d) No.
- (e) Normally overtime is granted to such category of workers whose work can be subjected to check and measurement. It is not considered necessary to deviate from this principle.

## उत्तर प्रदेश में कारसाना ग्रधिनियम का उल्लंघन

- 2910. श्री मोलहू प्रसाव : नया श्रम तथा पुनर्वास मंत्री उत्तर प्रदेश कारखाना ग्राधि-नियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में 1 ग्रगस्त, 1968 के तारांकित प्रधन संख्या 265 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) न्यायालयों में 351 कम्पनियों के विचाराधीन मामलों में क्या निर्णाय किये गये हैं;
- (ल) इन कम्पनियों को चेतावनी देने के बाद दोषमुक्त कर देने के क्या कारण हैं धौर एक कम्पनी को ध्रपील करने की ध्रनुमति क्यों दी गई है; भौर
- (ग) जिन तीन कम्पनियों के विरुद्ध झारोप लगाये गये थे उनके विरुद्ध मुकदमे दायर करने तथा उक्त कम्पनियों के उत्तराधिकारियों पर मुकदमा न चलाने के क्या कारगा हैं?
- श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रासम में राज्य मन्त्री (भी मागवत भा स्राजाद): (क) से (ग). वह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में स्राता है।

Introduction of Service System in Employees States Insurance Scheme

2911. SHRI SAMAR GUHA: SHRI K. LAKKAPPA: